न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 168/2020
3. उनवान : सरकार जरिये राजेन्द्र बूसर, प्रवर्तन अधिकारी

बनाम

मैसर्स गोयल एन्टरप्राइजेज प्लाट नम्बर 627, टेम्पो स्टेण्ड रोड, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर मालिक फर्म श्री हरिओम प्रसाद गोयल पुत्र स्व. श्री सुगनचन्द गोयल, निवासी प्लाट नं. 28ए, कृष्णा नगर बी, महेश नगर, जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 22.02.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री शिवेन्द्र गर्ग अप्रार्थीगण की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर प्रथम श्री राजेन्द्र बूसर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 30.03.2015 को घरेलू सिलेण्डरों में से छोटे नोन आईएसआई सिलेण्डरों में गैस रिफिलिंग की शिकायत की जांच हेतु मैसर्स गोयल एन्टरप्राइजेज पर पहुंचे। दौराने जांच दुकान के बाहर रखे हुये 2 घरेलू गैस सिलेण्डर व दुकान में रखे एक घरेलू गैस सिलेण्डर मय कुल 31.800 किग्रा. एलपीजी, दुकान के पिछले हिस्से में 4 छोटी व 1 बडी बांसुरी, सिलेण्डर कैप प्लास्टिक 4 नग, लोहे का कांटा 1, प्लास 1, पेचकस 2, लोहे के बांट 7 नग, वीनस सोल्टर मशीन 1, लोहे का तराजू 1 नग जब्त किये गये। फर्म मालिक ने एक सिलेण्डर स्वयं का व एक डीलीवरी मैन का होना बताया। किसी अन्य व्यक्ति का भरा हुआ सिलेण्डर रखने के संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया ना ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये। दुकान के बाहर मोटर साईकिल पर एक बीपीसी का सिलेण्डर रखा हुआ था। जिसके बारे में पूछने पर मोटरसाईकिल व सिलेण्डर स्वयं का होना बताया। जिनके संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री शिवेन्द्र गर्ग ने दिनांक 14.12.2022 को उपस्थिति दी। अप्रार्थीगण/अधिवक्ता ने दिनांक 01.02.2023 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर व अन्य सामान प्रार्थी का नहीं है ना ही वह कोई गैस रिफिलिंग का कार्य करता है। तत्पश्चात प्रकरण जवाब/बहस हेतु नियत किया गया। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत जवाब को ही बहस मानने का कथन किया। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 22.02.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 30.03.2015 को जब्त घरेलू सिलेण्डर व अन्य सामान की सहायता से अप्रार्थी द्वारा गैस रिफिलिंग की जा रही थी। फर्म मालिक ने बताया कि दुकान पर चूल्हा रिपेयर, छोटे नोन आईएसआई सिलेण्डर, प्लास्टिक का सामान व बर्तन बेचने का कार्य करने के साथ ही छोटे नोन आईएसआई सिलेण्डरों में गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर व गैस रिफिलिंग के सामान से संबंधित दस्तावेज मौके पर व आज तक उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। मौके पर बांसुरियां, प्लास्टिक कैप, प्लास, पेचकस, लोहे के तराजू, बाट, सोल्टर मशीन आदि पाये जाने से प्रथम दृष्ट्या गैस अन्तरण का कार्य किया जाना पुष्ट होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त सामान 3 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 31.800 किग्रा. एलपीजी, 4 छोटी व 1 बडी बांसुरी, सिलेण्डर कैप प्लास्टिक 4 नग, लोहे का कांटा 1, प्लास 1, पेचकस 2, लोहे के बांट 7 नग, वीनस सोल्टर मशीन 1, लोहे का तराजू 1 नग को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।